IV 22/14 (4)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 822830

6028

न्यास पत्र/ट्रस्ट डीड

मैं, सुरेन्द्र नाथ यादव पुत्र स्व० शिव नाथ यादव सा. 20/162-A-4-H पंचकोशी रोड, पैगम्बरपुर, सारनाथ, वाराणसी उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। विदित हो कि मैं सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक व शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु " हरि बन्धु ट्रस्ट " नाम से एक न्यास बना करके उक्त नाम से ही उक्त संस्था का संचालन करना चाहता हूँ। मैं " हरि बन्धु ट्रस्ट " बना करके व उसके उद्देश्यों को नियत करके न्यास के नाम से अपनी निजी सम्पत्ति में से 11000/- रुपया ग्यारह हजार रुपया) जमा करके उक्त " हरि बन्धु ट्रस्ट " को गठित करना चाहता हूँ तथा इसके अलावा ट्रस्ट की कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है। मैं आज दिनांक 19.03.2014 को बहैसियत सेटलर/न्यासी " हरि बन्धु ट्रस्ट " नाम से न्यास प्रारम्भ कर रहा हूँ।

उक्त ट्रस्ट की देख-रेख संचालन व प्रबन्ध व्यवस्था हेतु मैं निम्न व्यक्तियों को न्यासी के रूप में नियुक्त करता हूँ:-

Surendra

हरिबन्धु इण्टरनेशनल स्कूल प्रबन्धक

Jaya Singh
Principal
Hari Bandhu International School

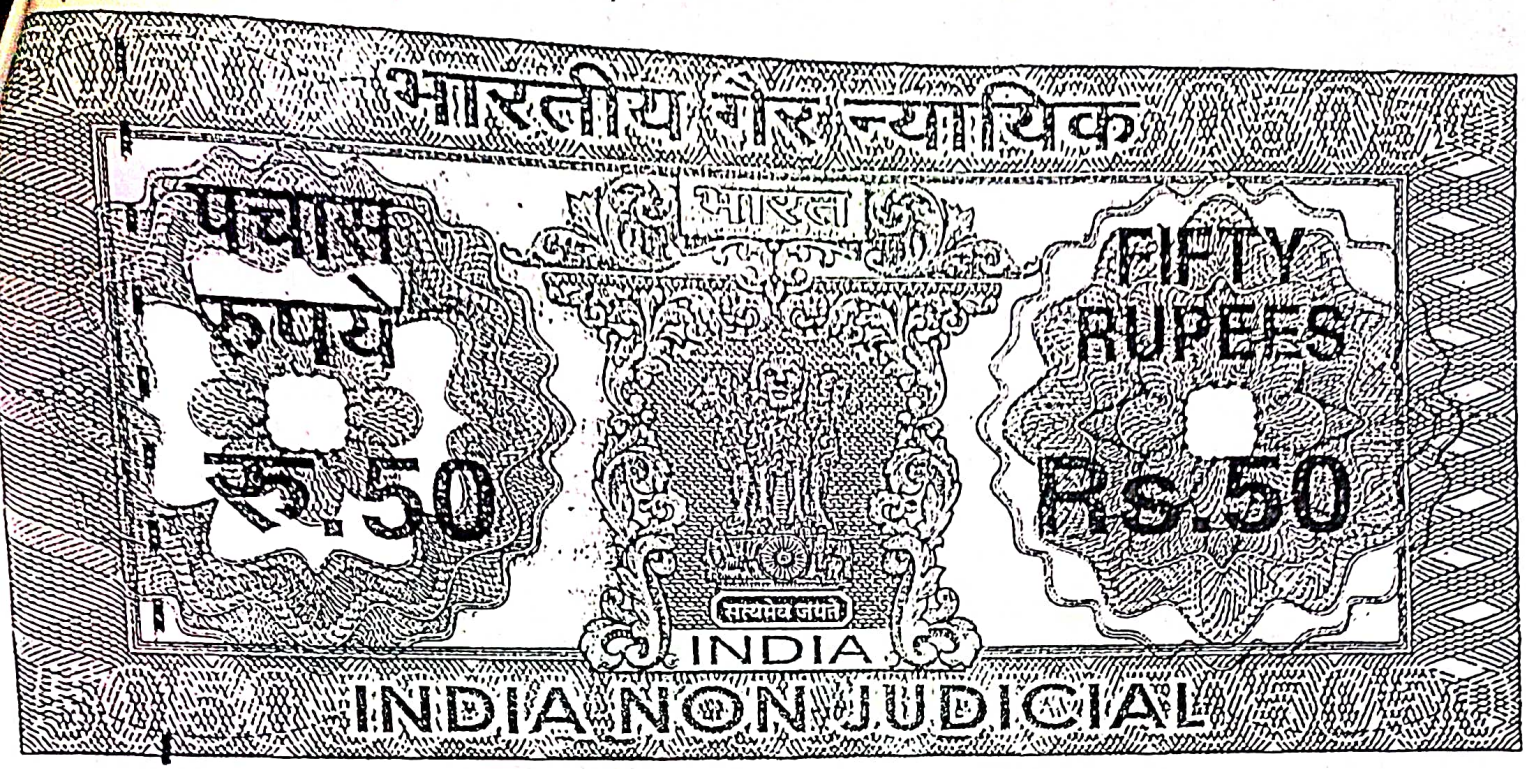

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AL 822829

क्रम.	नाम	पूरा पता	पद
1.	श्री सुरेन्द्र नाथ यादव पु0 स्व0 शिवनाथ यादव स्वयं)	सा. 20/162-A-4-H पंचकोशी रोड. पैगम्बरपुर, सारनाथ, वाराणसी	प्रबन्धक न्यासी
2.	श्री शशी बाला यादव पत्नी श्री सुरेन्द्र नाथ यादव	सा. 20/162-A-4-H पंचकोशी रोड. पैगम्बरपुर, सारनाथ, वाराणसी	सदस्य न्यासी बोर्ड

उक्त न्यासीगण '' हरि बन्धु ट्रस्ट '' की देख-रेख व प्रबन्ध व्यवस्था निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अनुरुप करेंगे, इस प्रकार मैं '' हरि बन्धु ट्रस्ट '' गठित करके व उसका दायित्व कायम करके उपरोक्त न्यासीगण को देता हूँ। जिन्होंने स्वेच्छया से उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था व संचालन का दायित्व न्यासीबोर्ड के रुप में करने हेतु मुझे अपनी स्वीकृति दे दिया है।

Jaya Singh
Principal
Hari Bandhu International School

हरि बन्धु इण्टरनेशनल स्कूल प्रबन्धक

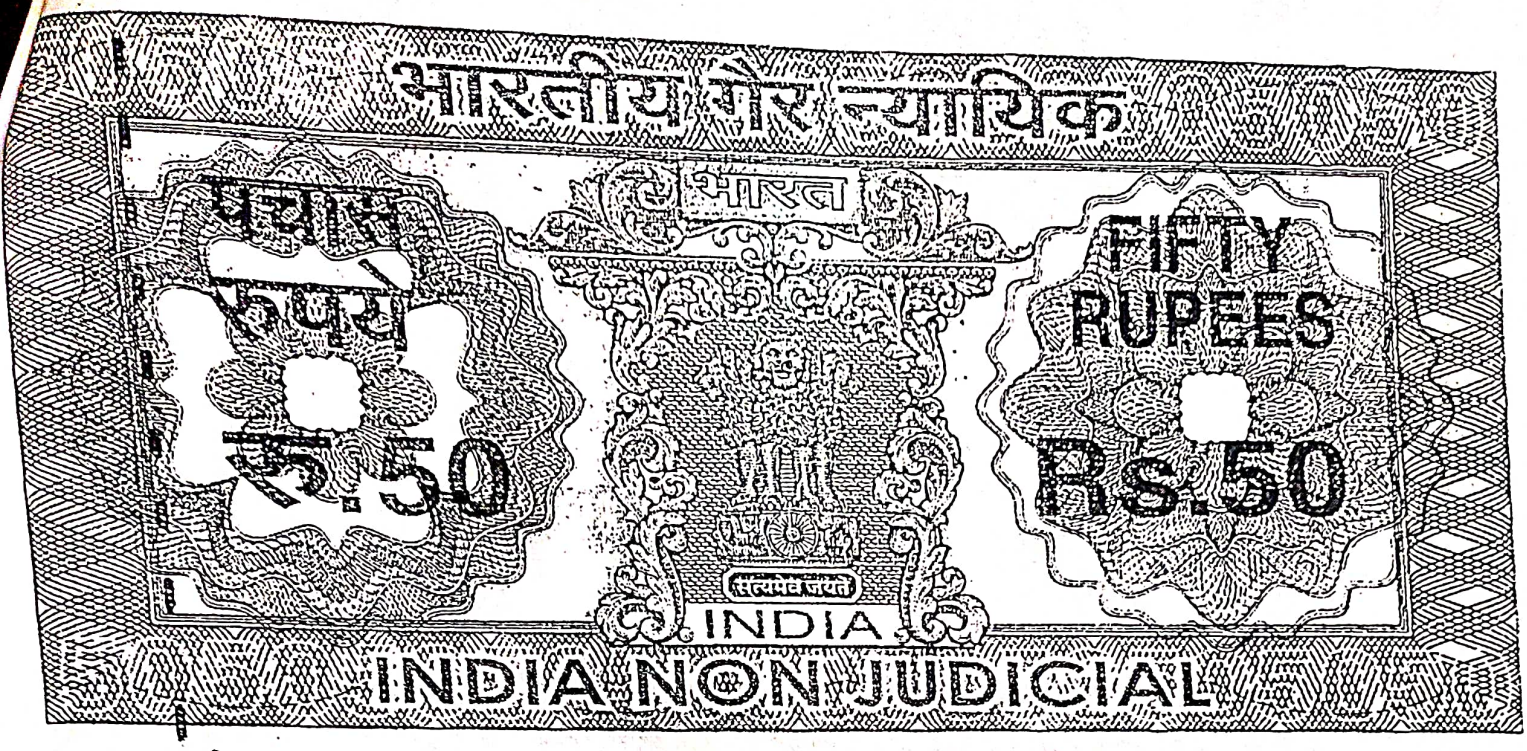

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AL 822807

उक्त न्यास में मैं स्वयं प्रवन्धक न्यासी के रुप में रहूँगा। इस प्रकार मैं अपने स्वस्थ चित्त मस्तिष्क से प्रसन्नता पूर्वक यह न्यास पत्र, जिसका नाम " हरि वन्धु ट्रस्ट " गठित करके अपने व अपने उत्तराधिकारियों व स्थानापन्नों को निम्नलिखित शर्तों से आवद्ध करता हूँ :-

(क) ट्रस्टियो की संख्या : यह कि " हरि वन्धु ट्रस्ट " जिसका वर्तमान पंजीकृत कार्यालय मकान नम्वर सा सा. 20/162-A-4-H, पंचकोशी रोड, पैगम्वरपुर, सारनाथ, वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, का मैं स्वयं प्रवन्धक न्यासी/मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष न्यासी रहूँगा। मेरे साथ उल्लिखित सभी ट्रस्टीगण सदस्य न्यासी वोर्ड होंगे। ट्रस्ट मे कम से कम 2 दो और अधिक से अधिक 11 ट्रस्टी होंगे। वोर्ड आफ ट्रस्ट सर्वसम्पति से ट्रस्टियो की सख्या वढा सकती है। संस्थापक हमेशा /आजीवन मैनेजिंग ट्रस्टी रहेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी ही ट्रस्ट का व ट्रस्ट द्वारा सचालित संस्था /सस्थाओ का प्रवन्ध समिति का पदेन प्रवन्धक/सचिव होगा। प्रवन्धक न्यासी के शरीर त्यागने के वाद प्रवन्धक न्यासी के इच्छानुसार अगर वसीयत या अन्य किसी प्रकार के लेखपत्र द्वारा कोई प्रवन्धक न्यासी नियुक्त न होने पर प्रवन्धक न्यासी का विधिक उत्तराधिकारी ही अगला प्रवन्धक न्यासी माना जायेगा। वह पुनः आजीवन प्रवन्धक न्यासी होगा। वह अपने न्यास वोर्ड में परिवार के सदस्यों को सदस्य रखने के वाद ही उनके परामर्श से न्यास वोर्ड का चयन व संचालन करेगा। यह क्रम पुश्त दर पुश्त विना किसी अवरोध के चलता रहेगा।

(ख) नये ट्रस्टियो का लिया जानाः
उपरोक्त ट्रस्टीगण ट्रस्ट मे प्रथम ट्रस्टी होंगे। संस्थापक /मैनिजिंग ट्रस्टी के न रहने पर उसके वारिस उपरोक्तानुसार मैनिजिंग ट्रस्टी होंगे तथा प्रवन्ध समिति मे पदेन पर उनके

Jaya Singh
Principal
Hari Bandhu International School

हरिबन्धु इण्टरनेशनल स्कूल प्रबन्धक

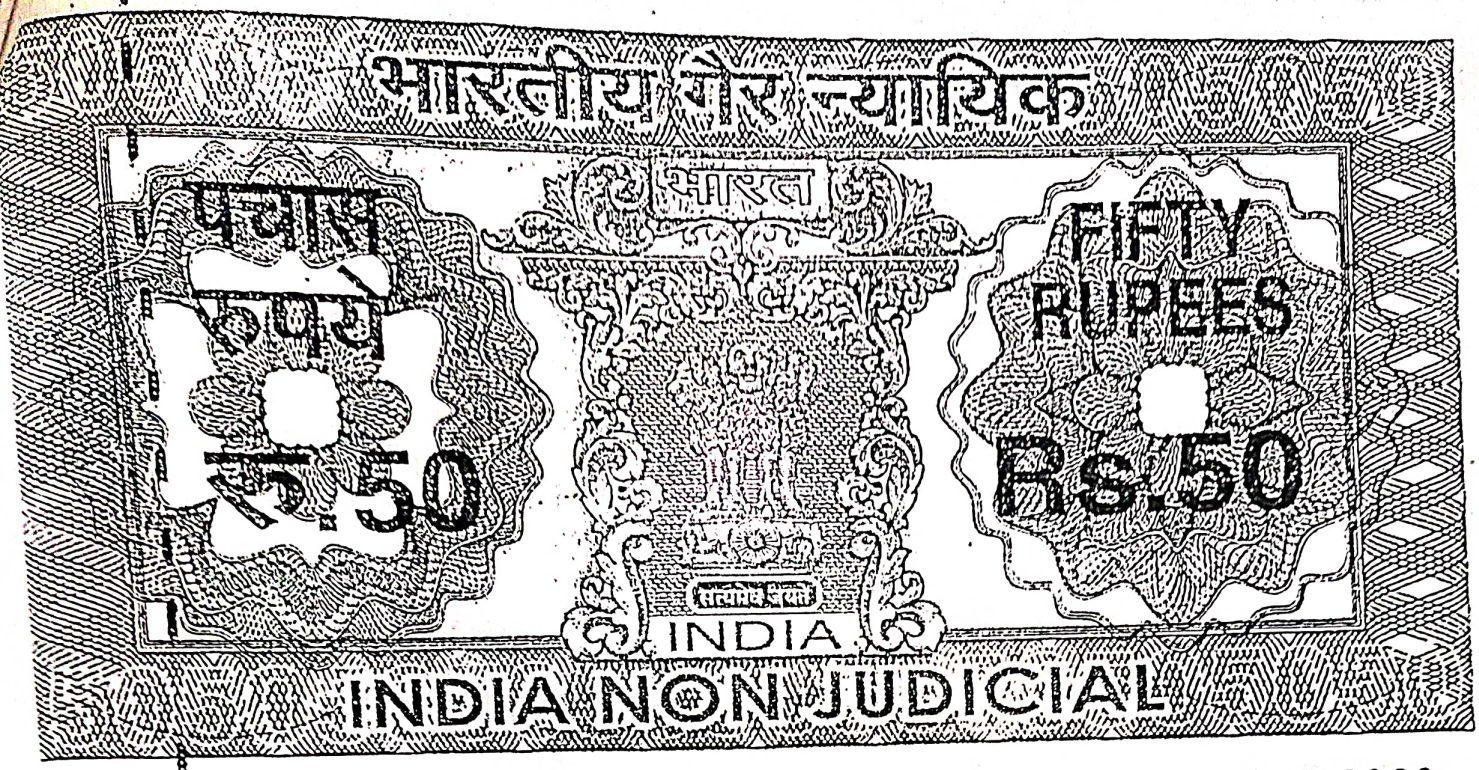

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AL 822808

प्रबन्धक/सचिव होंगे। इसके साथ उक्त ट्रस्ट में उन न्यासियो की राय से अन्य न्यासी नियुक्त किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त सामान्य न्यासी भी बनाए जा सकेंगे. जो न्यास बोर्ड के सदस्य नही होंगें, परन्तु वे न्यास के प्रति हितबद्ध होंगे एवं समयानुसार वे विशेष अधिवेशन में उपस्थित होंगें व न्यास के सम्बन्ध में अपनी राय प्रस्ताव के माध्यम से दे सकेंगे, परन्तु इस सम्बन्ध में ट्रस्ट बोर्ड का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।यह कि यदि प्रबन्धक न्यासी का उत्तराधिकारी नाबालिग हो. तो उसके बालिग होने तक की स्थिति में न्यास के समस्त कार्यों का देख-रेख न्यास बोर्ड के सदस्यों द्वारा ही परस्पर सहमति से किया जाएगा। किन्तु ऐसी स्थिति में न्यास बोर्ड न्यास की किसी चल-अचल सम्पत्ति को न तो बेच सकेगा है अथवा बन्धक रख सकेगा।यह कि उक्त न्यास बोर्ड न्यास के सुचारु प्रबन्ध व्यवस्था हेतु विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन करेंगे और उक्त समितियों के विभिन्न व्यक्तियों को यथा योग्य अधिकार व दायित्व प्रदान करेगा ताकि उक्त समिती का संचालन होता रहें।

(ग) <u>ट्रस्टीयो को हटाया जाना</u>

न्यास कोई की प्रबन्धकारिणी से निम्नलिखित कारणों से न्यासी को मुक्त किया जा सकता है :-

1) कोई भी न्यासी एक माह पूर्व सूचना के आधार पर पद त्याग करने हेतु स्वतं होगा।

2) यदि न्याय बोर्ड समिति के 2/3 सदस्यों द्वारा त्यागपत्र माँग लिया जाए। परन्तु मैनेजिंग व आजीवन ट्रस्टी को नही हटाया जा सकता है।

Jaya Singh
Principal
Hari Bandhu International School

हरिबन्धु इण्टरनेशनल स्कूल प्रबन्धक

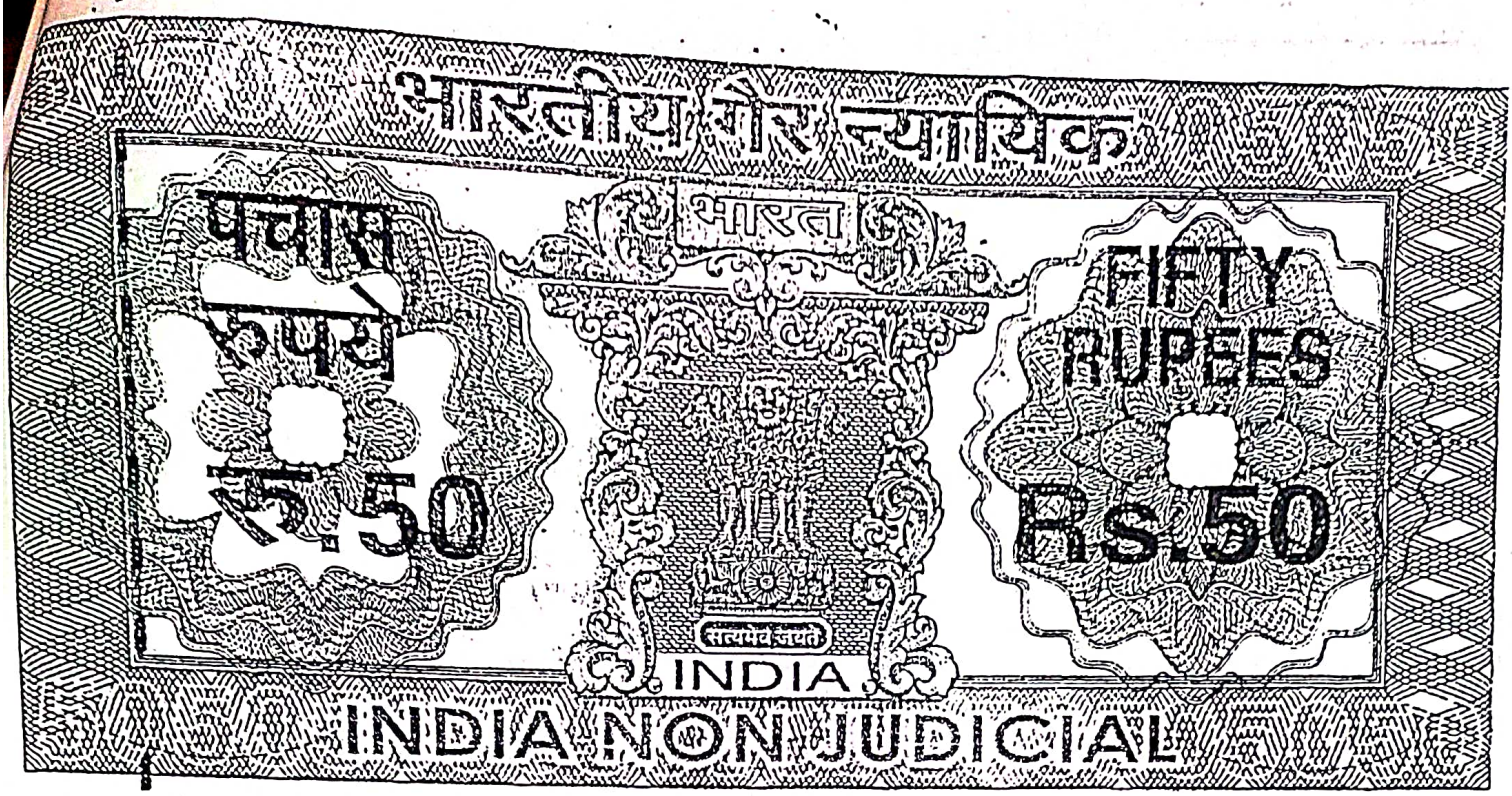

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये ₹.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 822817

(घ) ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र

1. यह कि, उक्त न्यास का वर्तमान पंजीकृत कार्यालय नम्बर सा. 20/162-A-4-H पंचकोशी रोड, पैगम्बरपुर, सारनाथ, वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, परन्तु आवश्यकतानुसार न्यासियों के परामर्श से उसका कार्यालय व शाखाएँ अन्यत्र देश व विदेश में भी खोली व कायम/स्थानान्तरित की जा सकेंगी।

(ङ.) ट्रस्ट के उद्देश्य

यह कि, " हरि बन्धु ट्रस्ट " के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-

1) लोकहितार्थ, चिकित्सालयों, चिकित्सा विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, शोध अनुसंधान, नर्सिंग संस्थाओं, डिस्पेन्सरियों, मातृत्व केन्द्रों शिशु केन्द्रों, बाल कल्याण केन्द्रों व अन्य इसी प्रकार के संस्थानों को स्थापित, विकसित व संचालित करना तथा इस हेतु ऋण दान, अनुदान, धन या अन्य रूपों में सम्पत्ति प्राप्त करना व उसका यथोचित प्रबन्धन, विनिमय करना।

2) चिकित्सा क्षेत्र में शोध व अनुसंधान करना जिससे चिकित्सा के समस्त क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित हो सके व चिकित्सा के पारम्परिक व गैर पारम्परिक सभी पद्धतियों में कार्य करना जिससे चिकित्सा क्षेत्र में बेहतर सेवा उपलब्ध करायी जा सके।

3) भारत, भारतवासियों व गैर भारतीय विद्यार्थियों, शोधार्थियों, प्रशिक्षणार्थियों को बिना किसी भेदभाव के मानवीय आधार पर मदद प्रदान करने हेतु शोध व अनुसंधान विकास कोष, ज्ञान विकास कोष, संस्कार संवर्द्धन कोष, छात्रवृत्ति कोष इत्यादि के

Jaya Singh
Principal
Hari Bandhu International School

हरिबन्धु इण्टरनेशनल स्कूल
प्रबन्धक

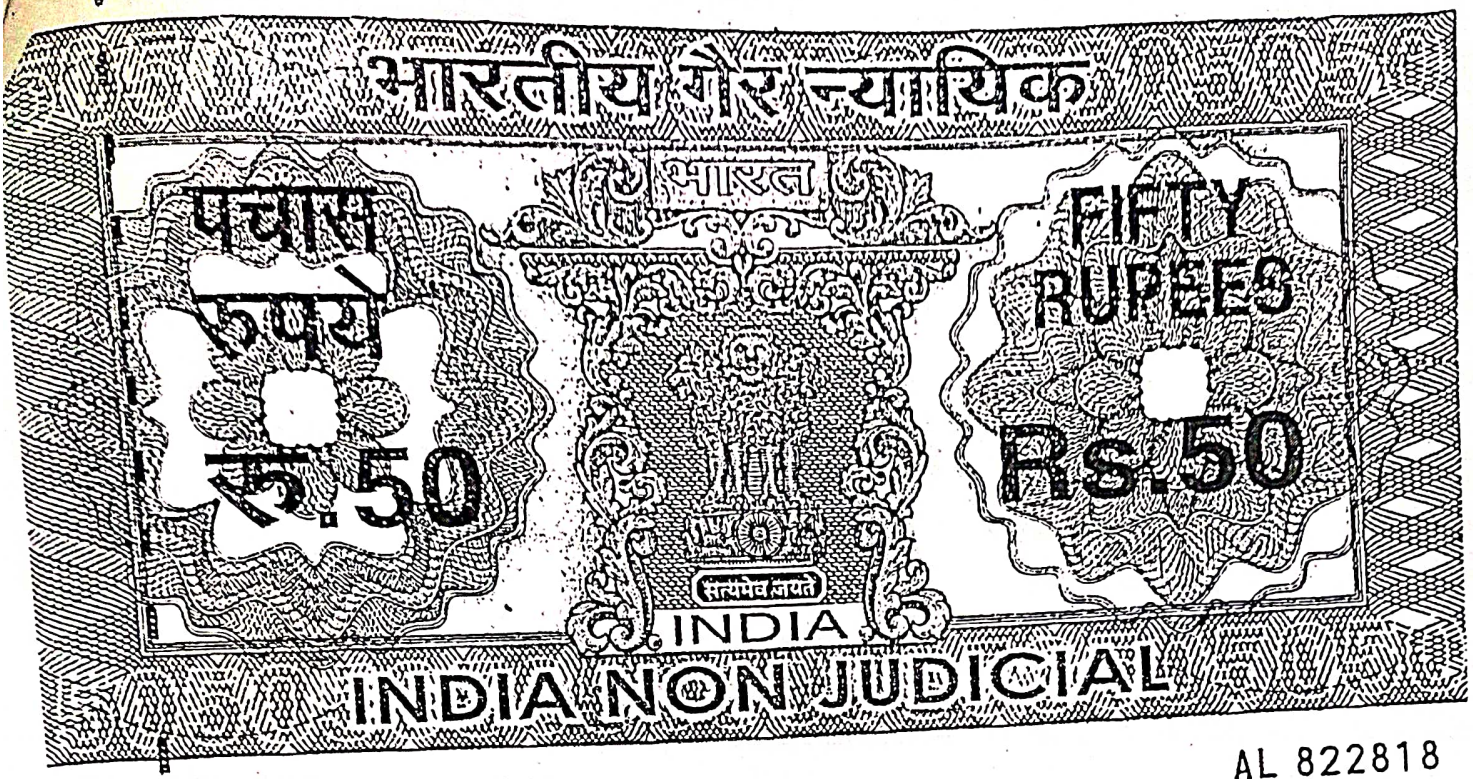

AL 822818

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

स्थापना व संचालन द्वारा आर्थिक रुप से, पुस्तकों के रुप में, संसाधन के रुप में, पुरस्कार के रुप में, मानदेय इत्यादि के रुप में सहयोग करना।

4) ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, संगीत, नाट्य लोक व ललित कला इत्यादि विधाओं का विकास करने हेतु पौराणिक महत्त्व के भवनों-स्थलों इत्यादि के संरक्षण हेतु, शोध, प्रशिक्षण या अन्य इसी प्रकार के संस्थाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना, स्थापित करना, सहयोग व समर्थन करना, देख-रेख करना, जिससे विश्व कल्याण का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

5) स्वास्थ्य व आर्थिक आधार पर पिछड़े सामाजिक समुदायों के उन्नति हेतु स्वास्थ्य जगत के समस्त क्षेत्रों के अनुसंधान सुविधाएं, शोध, आधारभूत संरचना का विचार व प्रायोगिक पद्धतियों को बढ़ाने हेतु करना।

6) गरीब हिन्दुओं के लिए आवास, विद्यालय, प्रशिक्षणशालाओं की स्थापना, अनाथालय, कार्यकारी नारी आश्रमों व आलयों/निकेतनों की स्थापना सांस्कृतिक विचलन को रोकने हेतु करना, इन्हें संचालित करना व सहयोग प्रदान करना।

7) प्राकृतिक, आकस्मिक आपदा यथा युद्ध, महामारी, साम्प्रदायिक हिंसा इत्यादि के समय प्रभावितों की मदद सभी प्रकार से करना तथा इस प्रकार के आपदाओं से निपटने हेतु प्रशिक्षण कार्यों शिविरों) का संचालन व आयोजन समय-समय पर करना।

Jaya Singh
Principal
Hari Bandhu International School

हरिबन्धु इण्टरनेशनल स्कूल
प्रबन्धक

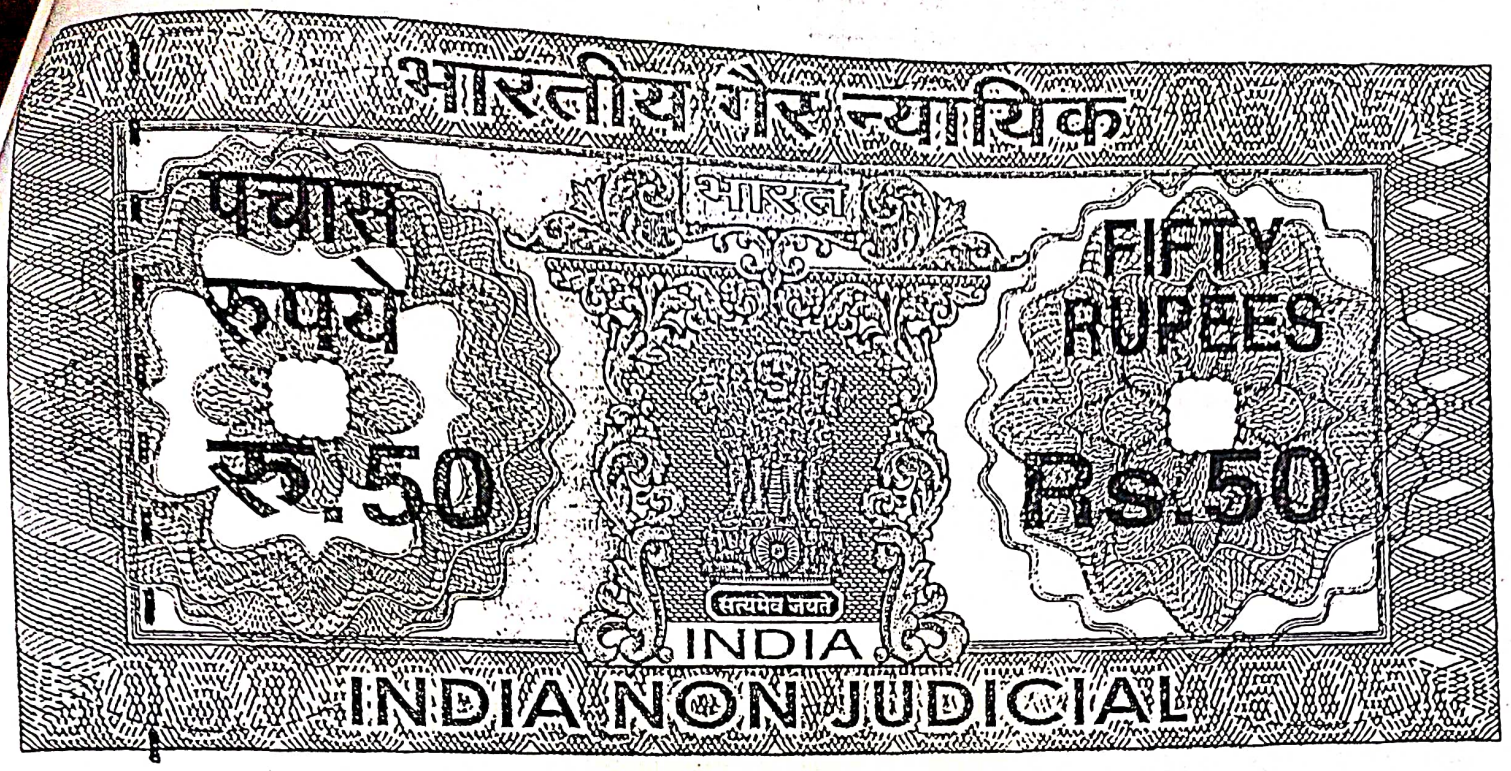

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AL 822819

8) चिकित्सा क्षेत्र के विकास व उन्नयन हेतु शोध संस्थानों को स्थापित, संचालित व अधिग्रहित करना जो स्वास्थ्य क्षेत्र को व्यापक व सर्व-सुलभ बना सके।

9) जल सम्पदा का संरक्षण, नदियों के निर्बाध प्रवाह को बनाये रखना, घाटों का सौन्दर्यीकरण, स्थाई करण, मरम्मत, मरघटों, विद्युत शवदाह गृहों इत्यादि का निर्माण संरक्षण व सहयोग तथा वृक्षारोपड़ के लिए जनजागरूकता एवं उसके संचालन की व्यवस्था करना व करवाना।

10) शिक्षा क्षेत्र के विकास हेतु विद्यालयों महाविद्यालयों इत्यादि को प्रारम्भ करना, स्थापित करना, संचालन करना, प्रबन्धित करना आदि जिससे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक व अन्य उच्च शिक्षा बच्चों व व्यक्तियों को प्रदान की जा सके।

11) टाइपिंग, शार्टहैण्ड, कम्प्यूटर, ललित कला, संगीत, चित्रकला, नृत्य, गायन, वादन, शारीरिक शिक्षा और अन्य व्यावसायिक विषयों के प्रशिक्षण व शिक्षण हेतु संस्थाओं को स्थापित, प्रबन्धित, संचालित इत्यादि करना।

12) शिक्षा से वंचित बच्चों, समुदायों इत्यादि के हित के कल्याण कार्यों को बढ़ावा देना जैसे निशुल्क आवासीय विद्यालय इत्यादि।

Jaya Singh
Principal
Hari Bandhu International School

हरिबन्धु इण्टरनेशनल स्कूल
प्रबन्धक

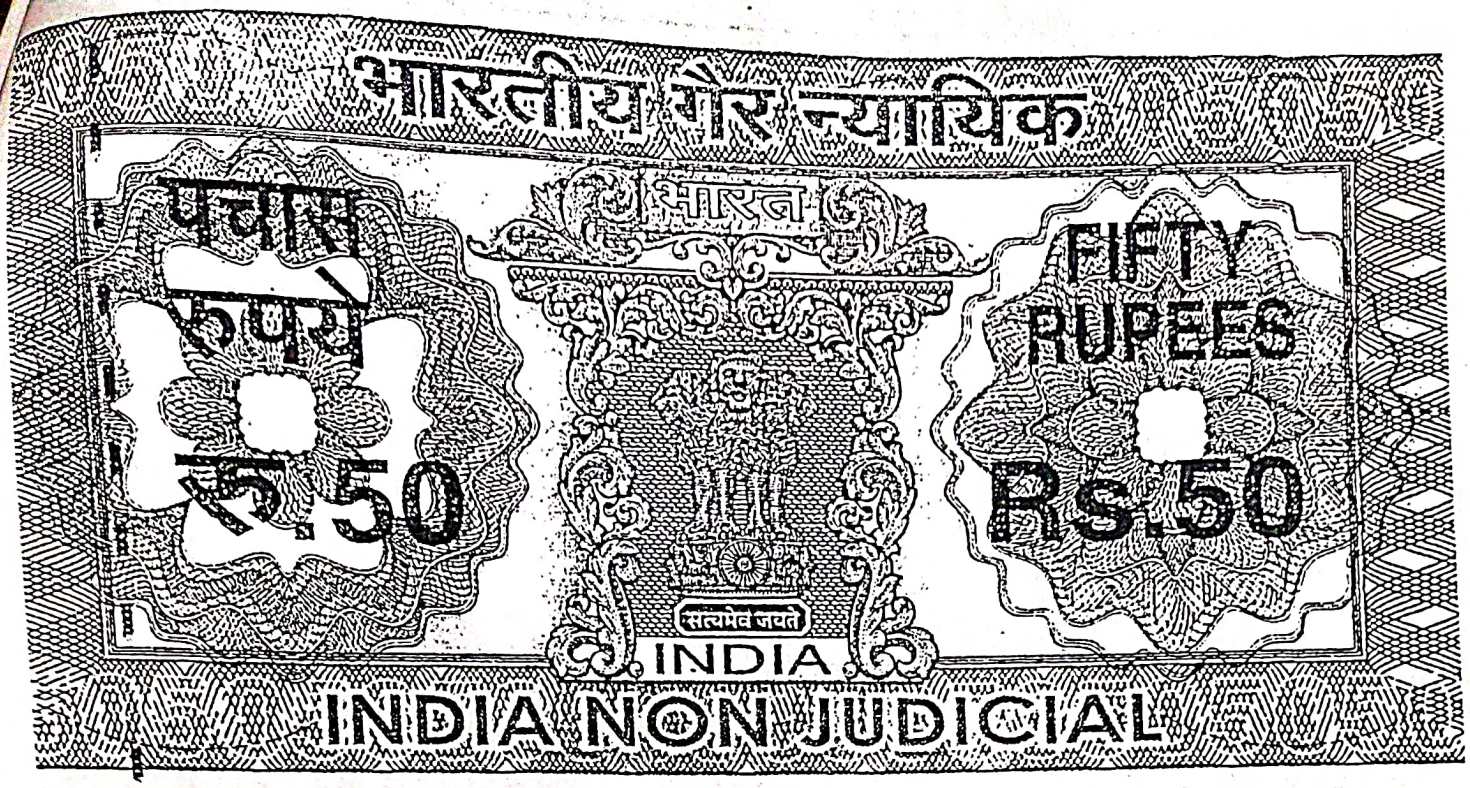

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 822820

13) विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने हेतु युवाओं को सहयोग करना, प्रशिक्षित व संगठित करना। जो उपक्रम इस आन्दोलन में सम्मिलित है, उनके साथ व सहयोग से कार्य करना।

14) स्त्रियों के प्रति मातृत्व भाव को जागृत करना , वैश्यावृत्ति, स्त्रीहिंसा, शारीरिक मानसिक शोषण, को समाप्त करने हेतु संस्थाओं, प्रकल्पों, पीठों, कोषों व निकेतनो की स्थापना संचालन व सहयोग करना।

15) सामाजिक, धार्मिक व अन्य समान विचार वाली संस्थाओं को संगठित करने हेतु उनका संघ बनांना या उनके संघ में कार्य करना।

16) स्वावलम्बन, स्वाभिमान, स्वतंत्रता, स्वशासन, स्वायत्तता इत्यादि स्वत्व आधारित भावों को जन-जन में प्रतिष्ठित करना।

17) स्वसहायता समूहों व अन्य आर्थिक सामाजिक प्रयास को संगठित करना, इनके आर्थिक सशक्तिकरण हेतु, विपणन केन्द्र स्थापना, व संचालन, मेलो, सम्मेलनों, क्रय-विक्रय, आयात-निर्यात, गुणवत्ता विकास, विपणन इत्यादि संबंधित परियोजना, प्रकल्पों का निर्माण, स्थापना व संचालन करना।

18) आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में वीरगति को प्राप्त सैनिकों, पुलिस कर्मियों के परिवारों को आर्थिक सामाजिक व भावनात्मक मदद हेतु परियोजना निर्माण स्थापना व संचालन करना।

प्रबन्धक

Jaya Singh
Principal
Hari Bandhu International School

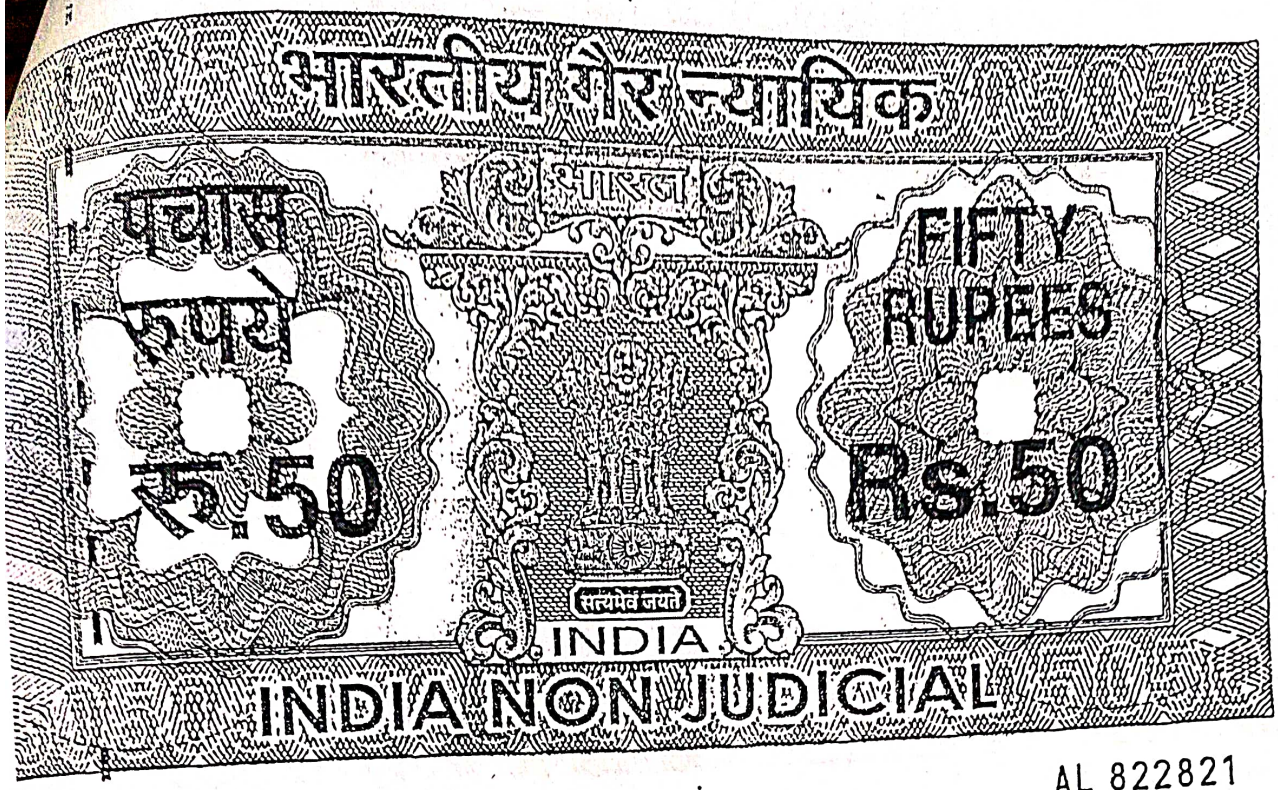

AL 822821

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19) भारत या भारत के वाहर समान उद्देश्यों में रुचि रखने वाले संस्थाओं. संघों और समितियों के साथ सहयोग में कार्य करना व अन्य समान विचार व व्यवहार वाले संगठनों के साथ ग्राम्य विकास, मानव विकास, राष्ट्र विकास इत्यादि कार्यो का संचालन, सहयोग समन्वय इत्यादि करना। अन्य सामाजिक व धार्मिक न्यास. संस्थाओं, समितियों को सहयोग विभिन्न स्तरों व प्रकार से प्रदान करना।

20) देश की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति को विश्वपटल पर व्यवहार रुप में स्थापित करने के लिए आध्यात्मिक-सामाजिक एवं सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक शोध,गोष्ठी,, प्रदर्शनी या अन्य विधाओं से सार्थक प्रयास करना। आवश्यकता पड़ने पर फीचर फिल्म व डाक्यूमेन्ट्री फिल्म या एलवम तैयार करके , करवाकरके लोगो में जनजागरुकता पैदा करना।

21) भारत वर्ष के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सर्वशिक्षा हेतु सरकार एवं गैर सरकारी संस्तुत परियोजनाओं का संचालन करना।

22) दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के सभी लोगों को शिक्षण. स्वावलम्बन एवं तकनिकी क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित विषयों के पाठ्यक्रमों का सक्षम विभाग या मंत्रालय से अनुमति प्राप्त कर संचालन करना।

23) ट्रस्ट द्वारा विकलांग पुरुष, वालक वं महिलाओं को शिक्षित करने हेतु सामान्य वच्चों के साथ शिक्षण, प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सरकार एवं गैर सरकारी संस्थाओं से सहयोग प्राप्त कर उन्हें शिक्षित एवं स्वावलम्बी वनाने का प्रयास करना। उनके लिए

प्रबन्धक

Jaya Singh
Principal
Hari Bandhu International School

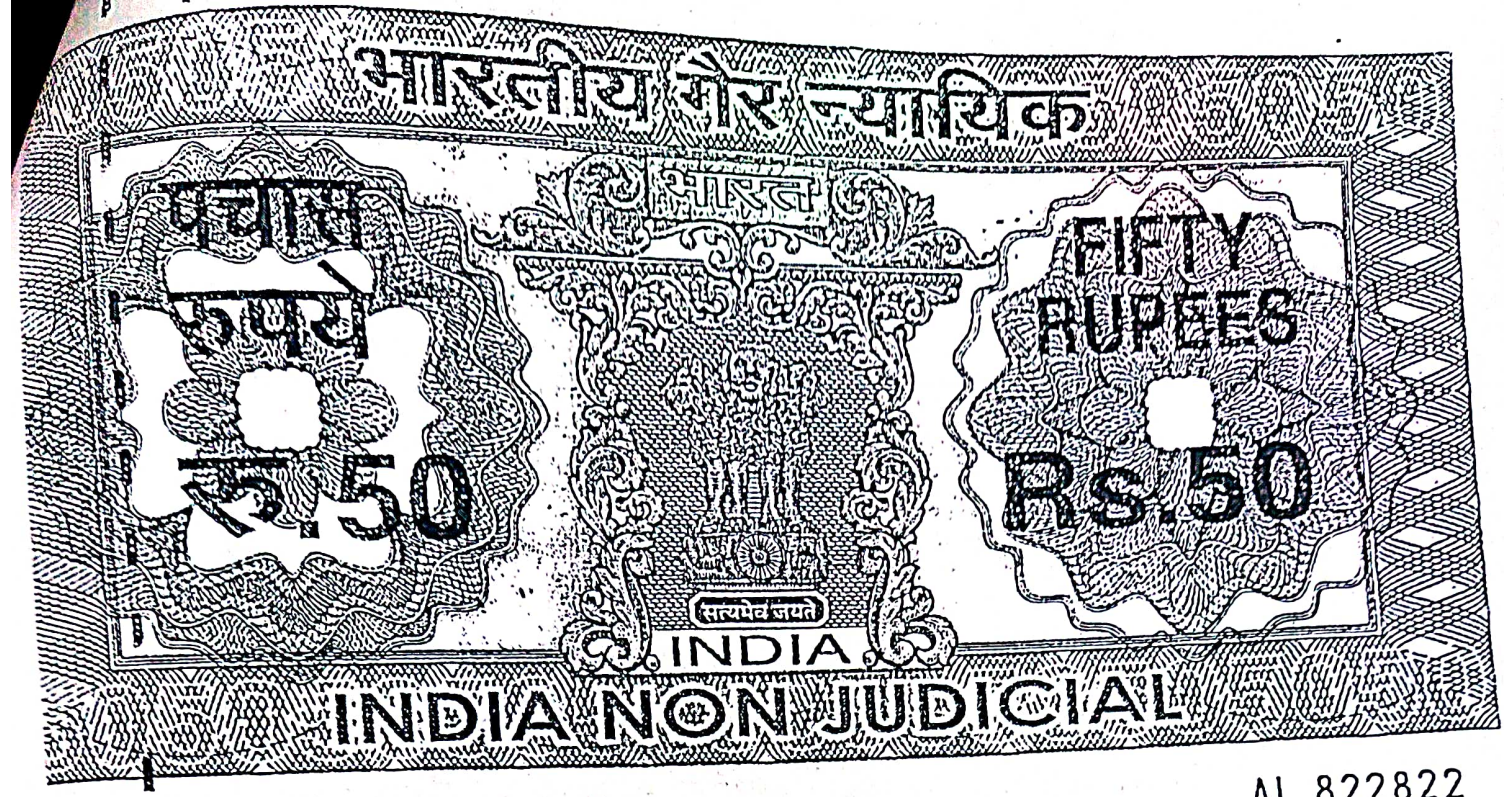

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 822822

महाविद्यालय, विश्वविद्यालय को स्थापित करना वांछित मान्यता लेकर उसका सफल संचालन करना।

24) ग्रामीण आदिवासी, अनु जाति-जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सहयोग प्राप्त कर कुटीर उद्योग, शिक्षा एवं प्राविधिक संस्थाओं का संचालन करना। तालाब व कूप के संरक्षण उनके विकास तथा अन्य सम्बन्धित समस्याओं के संदर्भ में गोष्ठी आयोजित कर उसका प्रकाशन करते हुये सम्बन्धित विभाग, प्रभाग को सूचित कर समाधान करवाने का प्रयास करना।

25) ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण एवं शहरी विकलांग, दलित अल्पसंख्यक, पिछड़े तथा सामान्य वर्ग के गरीब मेधावी लोगों को स्वावलम्बी बनाने व स्वरोजगार हेतु कुटीर उद्योग सिलाई-कढ़ाई,कम्प्यूटर, इम्बायडरी,मोमबत्ती, अगरबत्ती, मसाला, आर्टीफिसियल आभूषण)डेयरी फार्म का संचालन, मत्स्य पालन का संचालन तथा अन्य रोजगार परक परियोजनायें स्थानीय प्रशासनिक विभागों द्वारा प्राप्त करना एवं संचालित करवाना।

26) प्रदूषण के निवारण, गो. रक्षा एवं सेवा हेतु, स्थानीय रोजगार के विकास तथा जल संचय के संदर्भ में जागरूकता हेतु गोष्ठी एवं पत्रिका का प्रकाशन करना। साथ ही परियोजना बनाकर सरकारी एवं गैरसरकारी सहयोग से विकसित करना। गोष्ठी के माध्यम से जल संचय एवं उसके विनिमय हेतु जनजागरण करना।

27) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के दिग्भ्रमित व ड्रग एडिक्ट युवकों के लिए विभिन्न प्रकार के शैक्षिक एवं जनजागरण जैसे कार्यक्रमों को संचालित कर उन्हें सही व व्यवसायपरक मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करना।

28) राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय सूचना, शोध, समाचार इत्यादि से अवगत कराने के लिए पत्र-पत्रिका का प्रकाशन तथा पत्रकारो पर आने वाली विपदाओं से निवटने के लिए उनसे सम्बन्धित संघ का निर्माण या इसी ट्रस्ट के माध्यम से उनका सहयोग, संवेदना तथा प्रोत्साहन व पुरस्कृत करना व करवाना।

हरिबन्धु इण्टरनेशनल स्कूल
प्रबन्धक

Jaya Singh
Principal
Hari Bandhu International School

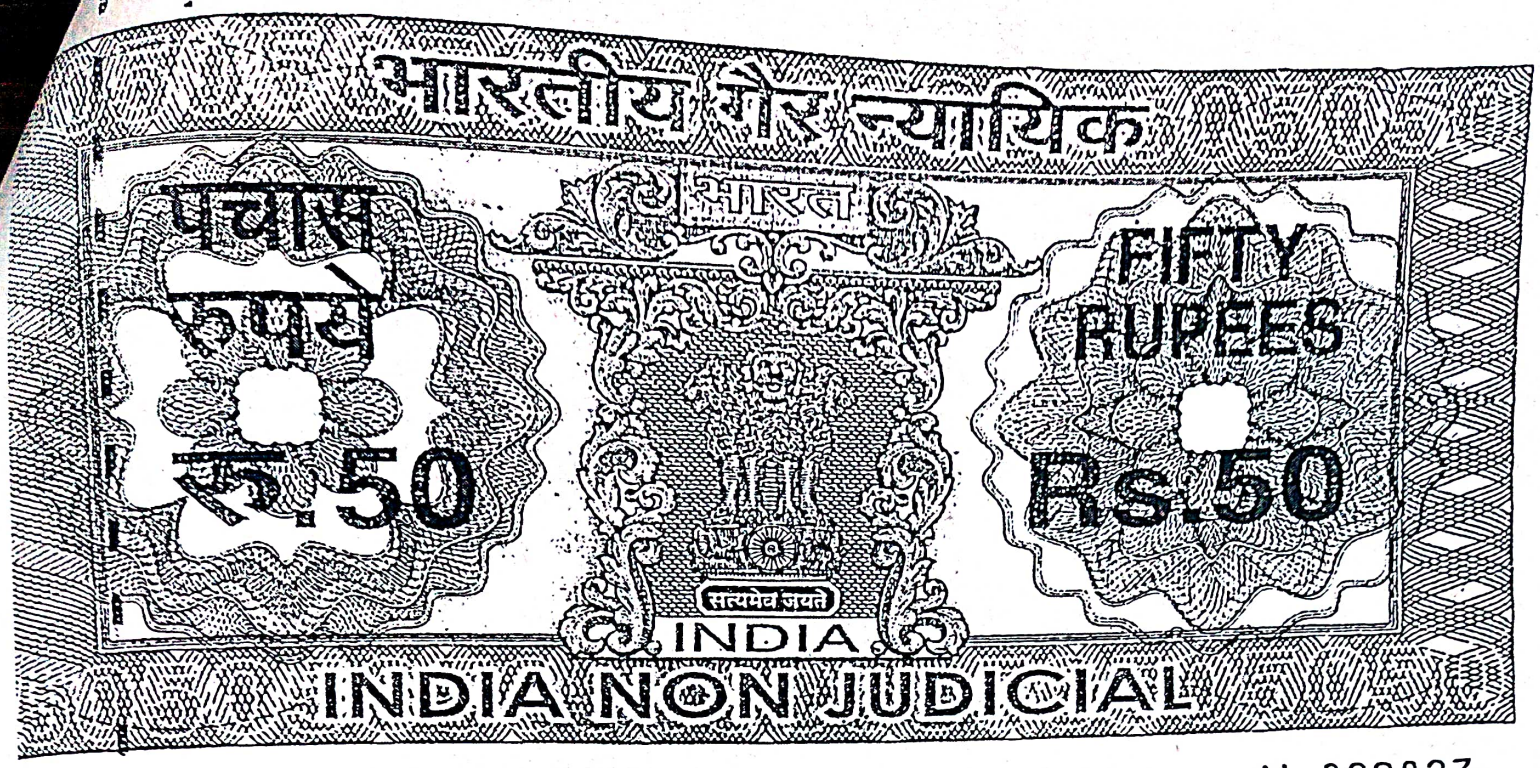

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 822823

29) व्यक्ति, संस्था, सरकार एवं उघोगपतियो द्वारा ट्रस्ट के उददश्यों की पूर्ति हेतु चल-अचल सम्पत्ति को प्राप्त करना तथा ट्रस्ट के हित में उसका यथोचित प्रवन्धन विनिमय।

30) भारत के किसी भी क्षेत्र में ट्रस्ट द्वारा हिन्दी, संस्कृत एवं अंग्रेजी माध्यम से नर्सरी, उच्चतरमाध्यमिक, माध्यमिक, एवं उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा नेतृत्व शिक्षा का संचालन करना साथ ही देश के विभिन्न प्रदेशें की लोक कला. व्यवहार. संस्कार, सभ्यता, लोकगीत तथा अन्य विषयों पर शोध करना व कराना तथा उसका प्रकाशन व उनके अनुरूप विकास कार्य हेतु परियोजना वनाकर सरकारी गैरसरकारी संस्थाओं से फण्ड प्राप्त कर सफल-सकारात्मक संचालन का प्रयास करना।

31) हर वर्ष शिक्षा, व्यवसाय, सामाजिक, साहित्यिक चिकित्सा, रचना, नाट्य, एवं अन्य किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने, शोध करने पर तत्संवन्धित विद्वान को पूर्वांचल शिक्षा रत्न, पूर्वांचल चिकित्सा रत्न, पूर्वांचल व्यवसाय रत्न, पूर्वांचल साहित्य रत्न एवं अन्य रत्नो से अलंकृत कर सम्मानित करना।

32) ज्योतिष चिकित्सा के क्षेत्र में प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, योग चिकित्सा, आयुर्वेदिक, चिकित्सा, एवं आधुनिक चिकित्सा के माध्यम से लोगों को सस्ती चिकित्सा एवं जांच की सुविधा व समाधान करने का प्रयास करना तथा तत्विषयों पर शोध करना व करवाना।

33) वृद्ध आश्रम, विधवा आश्रम, विधुर आश्रम एवं गौ आश्रम व विभिन्न प्रकार के आश्रमों का निर्माण करना एवं सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं एवं व्यक्तियों से सहयोग लेकर उसका संचालन करवाना तथा देश के विभिन्न भागों में उसकी शाखाएं खोलकर विस्तार करवाना।

35) वृक्षारोपड़ हेतु जनजागरण अभियान, जनसम्पर्क एवं गोष्ठियों का आयोजन करना व अन्य संस्थाओं के सहयोग से भी इसे करने के लिए परियोजनाओं का निर्माण व उसका संचालन करना व करवाना।

36) वह समस्त कार्य करना जो देश, समाज व ट्रस्ट के उददेश्यों के अनुरूप एवं हित में होगा।

इन्टरनेशनल प्रबन्धक

Jaya Singh
Principal
Hari Bandhu International School

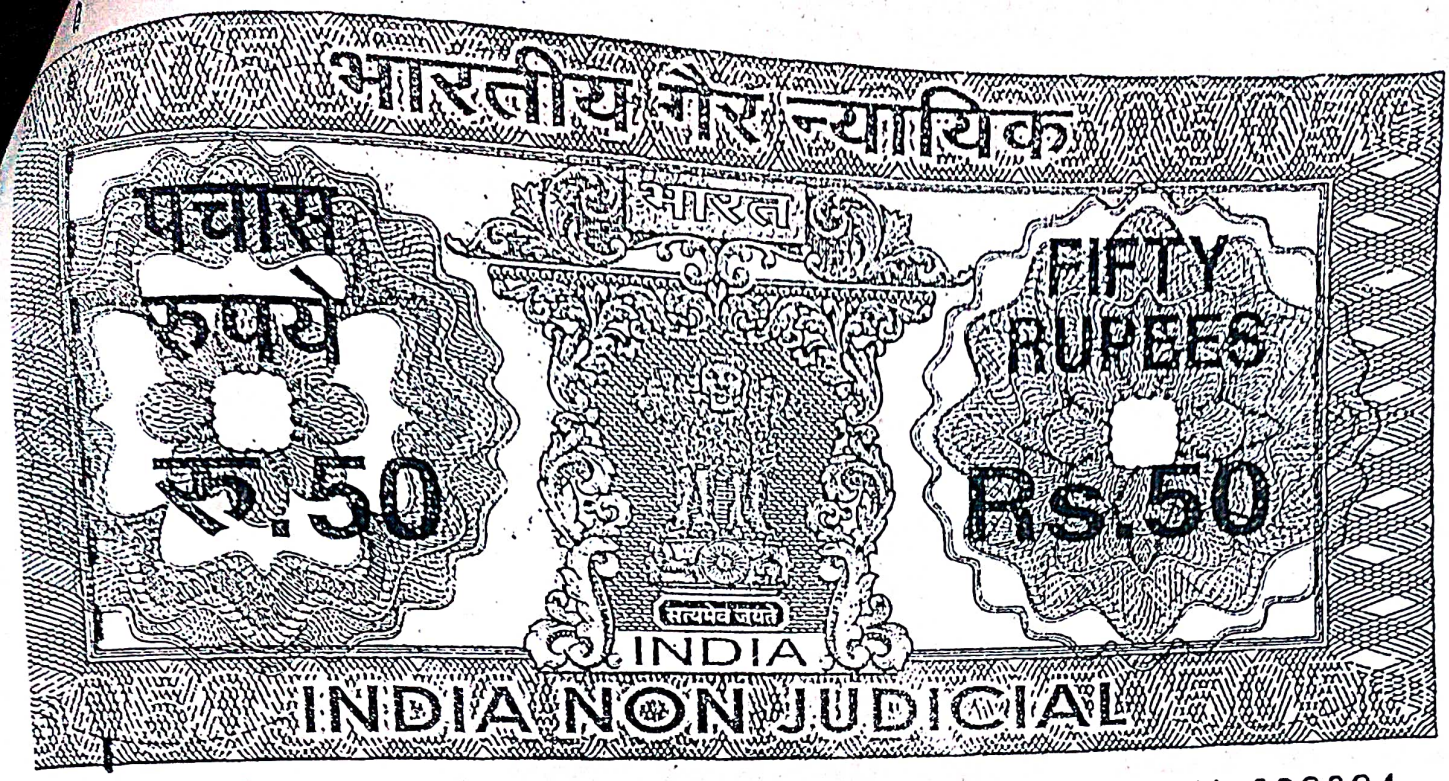

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 | भारत | FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 822824

च) न्यास के उद्देश्यों को पूर्ण करने और आगे बढ़ाने हेतु न्यास बोर्ड को निम्नलिखित अधिकार दिये जायेंगे :-

1) यह कि, न्यास कोष को, प्रारम्भिक कोष के आय से. साथ ही साथ दान. अनुदान. नगद या अन्य स्वरुपों में किसी भी व्यक्तियों के संघ या न्यास. समिति इत्यादि से बिना किसी शर्त या सशर्त प्राप्त कर न्याय कोष में जमा करना।

2) दान, अनुदान व अन्य प्रकार के समयानुसार मिलने वाले सहयोग से बढ़ाया जा सके।

3) न्यास को सम्पूर्ण, आंशिक, अन्य आय या न्यास कोष या अन्य संचय या उसके भाग को न्यास के किन्हीं या कुछ उद्देश्यों जो न्यास बोर्ड द्वारा समयानुसार उनके विवेकशीलता के अनुसार जो उचित हो को प्रयुक्त करना।

4) न्यास सम्पत्ति और उसका कोई अन्य निवेश समयबद्ध लाभ प्राप्ति के लिए करना।

5) न्यास कोष के उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु किसी सम्पत्ति का क्रय-विक्रय, निस्तारण अधिग्रहण इत्यादि ।

6) न्यास बोर्ड द्वारा अचल सम्पत्ति को निकालना, पट्टे पर देना, समर्पित करना, कुछ समय के लिए किराये पर देना।

7) न्यास मण्डल द्वारा न्यास के चल-अचल संम्पत्ति, न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु बैंक को बन्धक देने व लेने, ऋण प्राप्त करने व देने का अधिकार होगा।

8) न्यास किसी से श्रम, दान, उपहार, आग्रह, भेंट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति. मानदेय. आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।

9) न्यास मण्डल द्वारा प्रस्ताव पास कर न्यास के ट्रस्टी या किसी एक ट्रस्टी को ट्रस्ट के द्वारा उचीत व जरुरी अधिकार दिया जायेगा कि वह ट्रस्ट के लिए किसी भी बैंक से

Jaya Singh
Principal
Hari Bandhu International School

हरिबन्धु इण्टरनेशनल स्कूल
प्रबन्धक

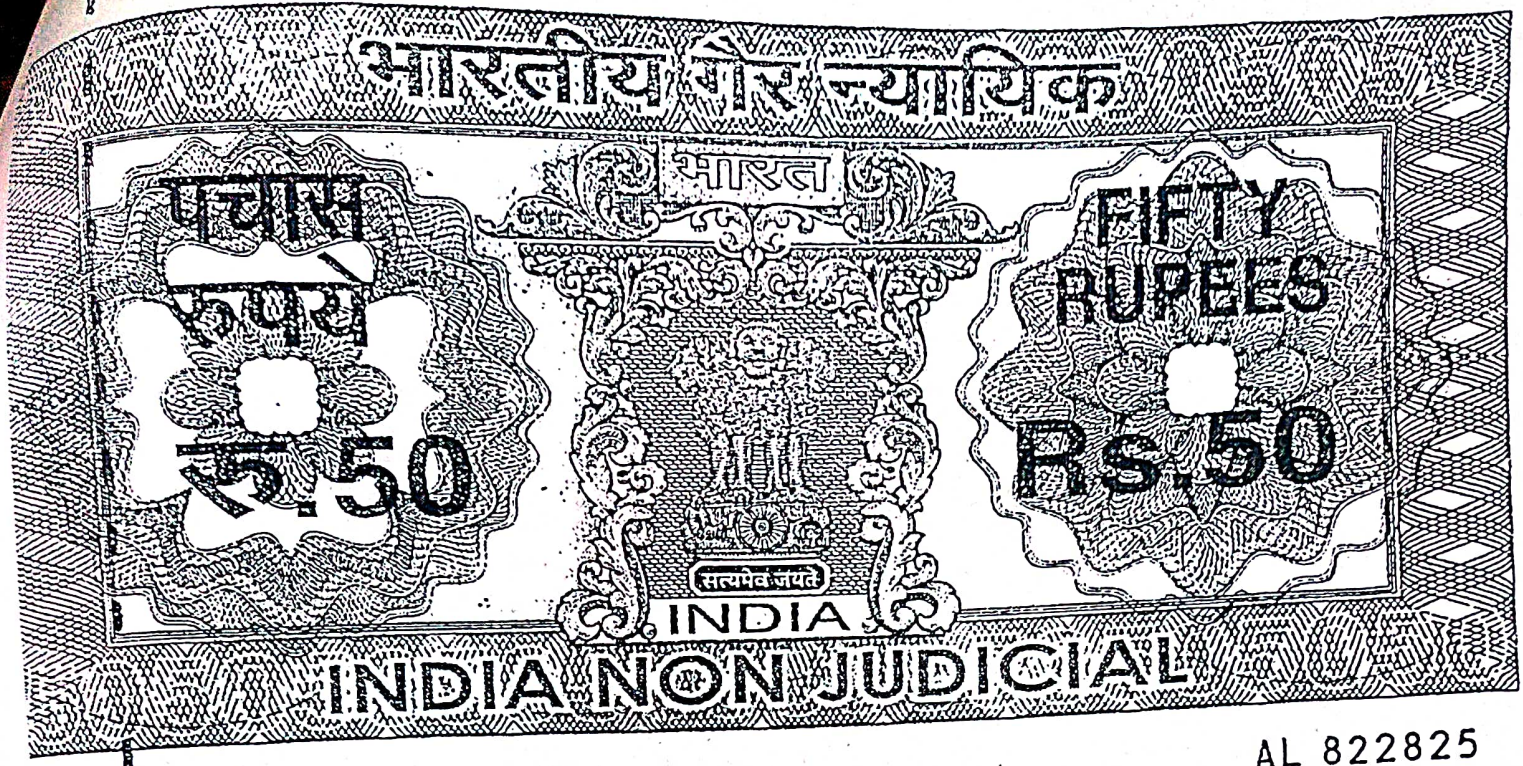

AL 822825

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ऋण लेने के लिए सभी जरुरी कार्यवादी को पूर्ण कराने व ऋण चुकता करने की लिए ट्रस्ट की सम्पति बन्धक रखने का अधिकार दे सकता है।

10) न्यास कोष संबंधी समस्त विवादों को व्यवस्थित करने, सुलझाने, समझौता करवाने या इनके लिए पंचायत करने, उसे हस्तान्तरित करने, पंचायत में दावा करने, वाद प्रस्तुत करने और निपटारा करने व कराने अधिकार होगा।

11) समय-समय पर प्रतिनिधियों को, अभिकर्ताओं को नियुक्त करना, उन्हें न्यास कार्य सम्पादन हेतु कुछ या कई अधिकार देना और उन्हें आवश्यक होने पर उनके पद व अधिकार से मुक्त करना, जैसा भी समयानुकूल हो और उनके स्थान पर नये या दूसरे को नियुक्त करना।

12) न्यास के प्रशासन को चलाने के लिए नियुक्ति या नियुक्तियों का प्रावधान समय-समय पर न्यास बोर्ड, प्रबन्धक न्यासी को परामर्श देकर उसके निर्णय के अनुसार कर सकेंगे तथा उनके लिए नियमों, अधिकारों व कर्तव्यों को निश्चित कर सकेंगे।

13) न्यासियों द्वारा उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु प्रबन्धक न्यासी को परामर्श देकर उसके निर्णय के अनुसार विभिन्न शाखा ओं), समिति यों) की स्थापना, प्रोत्साहन, प्रबन्धन, संगठन व देख-रेख करना, उन्हें मान्यता देना तथा समान उद्देश्यों आंशिक/पूर्ण) वाले न्यास व उसके शाखाओं के साथ मिलकर कार्य करना।

14) न्यास बोर्ड, प्रबन्धक न्यासी को परामर्श देकर उसके निर्णय के अनुसार केवल उसी साधन, सम्पत्ति, प्रपत्र व कोष के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसे उन्होंने वास्तव में प्राप्त किया है।

Jaya Singh
Principal
Hari Bandhu International School

हरिबन्धु इण्टरनेशनल स्कूल
प्रबन्धक

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 — भारत — सत्यमेव जयते — INDIA — FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH — AL 822826

15) यह कि भविष्य में आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यास मण्डल के परामर्श से शर्तों व नियमों को प्रबन्धक न्यास द्वारा व नये नियम व शर्त जोड़े व हटाये जा सकते हैं।

16. यह कि न्यास मंडल अगर उचित व जरूरी देने पर 2/3 सहमति द्वारा 21 दिन पूर्व नोटिस से विशेष सभा बुलाकर ट्रस्ट भंग कर सकता है व सभी देनदारी बैंक/ लेनदार चुकता करने के पश्चात जो चल व अचल सम्पति बचेगी व किसी अन्य ट्रस्ट या समीती को दान दे दी जाएगी व ट्रस्ट को कोइ भी सम्पति ट्रस्टी मे नही बांटी जाएगी।

छ) **बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक :**

1. मीटिंग की अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष करेगा।
2. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सर्वसम्मति से किसी एक ट्रस्टी को मीटिंग की अध्यक्षता करने के लिए चयनित किया जाएगा।
3. बैठक के लिए सूचना 10 दिन पूर्व समस्त ट्रस्टीयों कों सूचित किया जाना आवश्यक होगा।
4. किसी प्रस्ताव के पास होने के लिए सर्वसम्मति/बहुमत आवश्यक होगा।
5 बैठक का कोरम न्यूनतम 2 न्यासियों का होगा।
6 बिना बैठक कोई महत्वपूर्ण पारित प्रस्ताव, न्यासियों की लिखित सहमति होने पर बैठक में पारित प्रस्ताव की तरह ही माने जाऐंगे।
7 बैठक की कार्यवाही मिनट बुक पर लिखी जाएगी व मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा हस्ताक्षरित अधिकृत की जाएगी।

Jaya Singh
Principal
Hari Bandhu International School

हरिबन्धु इण्टरनेशनल स्कूल — प्रबन्धक

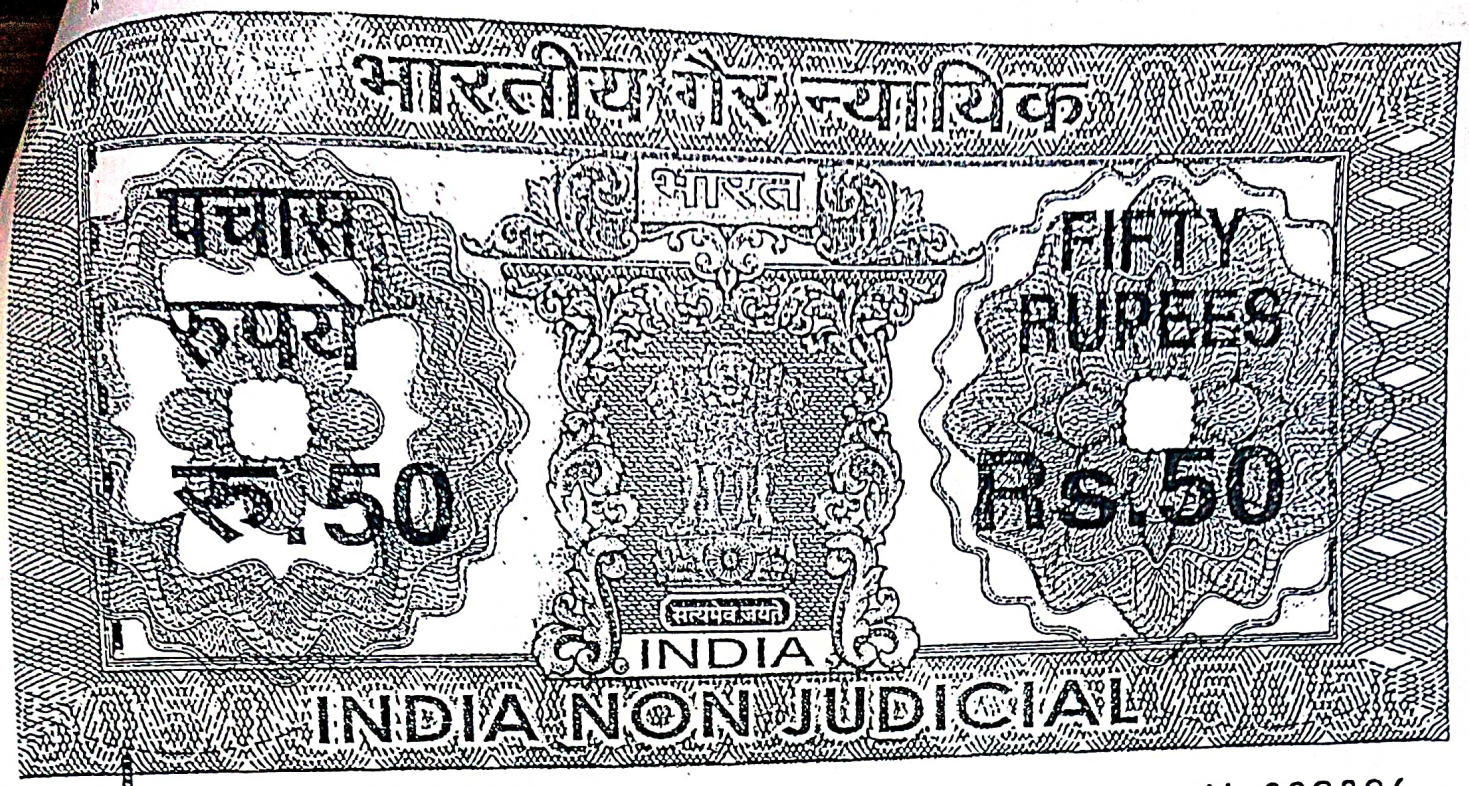

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AL 822826

15) यह कि भविष्य में आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यास मण्डल के परामर्श से शर्तों व नियमों को प्रबन्धक न्यास द्वारा व नये नियम व शर्त जोड़े व हटाये जा सकते हैं।

16. यह कि न्यास मंडल अगर उचित व जरूरी देने पर 2/3 सहमति द्वारा 21 दिन पूर्व नोटिस से विशेष सभा बुलाकर ट्रस्ट भंग कर सकता है व सभी देनदारी बैंक/ लेनदार चुकता करने के पश्चात जो चल व अचल सम्पति बचेगी व किसी अन्य ट्रस्ट या समीती को दान दे दी जाएगी व ट्रस्ट को कोइ भी सम्पति ट्रस्टी मे नही बाटी जाएगी।

छ) बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक :

1. मीटिंग की अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष करेगा।
2. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सर्वसम्मति से किसी एक ट्रस्टी को मीटिंग की अध्यक्षता करने के लिए चयनित किया जाएगा।
3. बैठक के लिए सूचना 10 दिन पूर्व समस्त ट्रस्टीयों को सूचित किया जाना आवश्यक होगा।
4. किसी प्रस्ताव के पास होने के लिए सर्वसम्मति/बहुमत आवश्यक होगा।
5. बैठक का कोरम न्यूनतम 2 न्यासियों का होगा।
6. बिना बैठक कोई महत्वपूर्ण पारित प्रस्ताव, न्यासियों की लिखित सहमति होने पर बैठक में पारित प्रस्ताव की तरह ही माने जाऐंगे।
7. बैठक की कार्यवाही मिनट बुक पर लिखी जाएगी व मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा हस्ताक्षरित अधिकृत की जाएगी।

Jaya Singh
Principal
Hari Bandhu International School

हरिबन्धु इण्टरनेशनल स्कूल प्रबन्धक

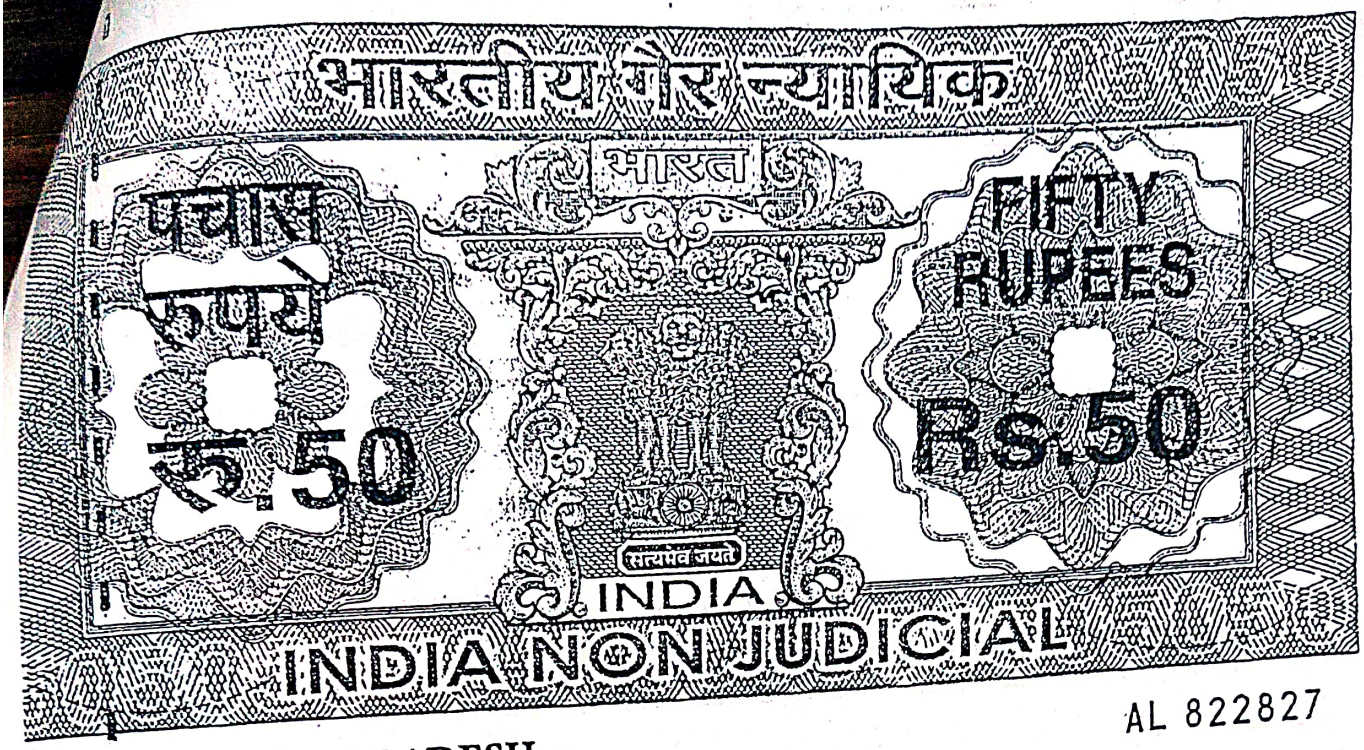

AL 822827

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ज) बैंक एकाउण्ट : ट्रस्टी का बैंक एकाउण्ट किसी एक अथवा एक से अधिक राष्टीयकृत बैंक, कोआपरेटिव बैंक मे खोला जायेगा जिसका संचालन प्रवन्धक न्यासी एक अन्य न्यासी के साथ संयुक्त रुप से करेगा। न्यास मंडल द्वारा संचालित समस्त खातों का उनके निर्देश तथा प्रवन्धक न्यासी के हस्ताक्षर से ठीक प्रकार से संचालित किया जाएगा. उसका समस्त अभिलेख न्यास के कार्यालय पर रहेगा।

झ) लेखा रखरखाव व परीक्षण : प्रत्येक 31 मार्च को ट्रस्ट का आय व्यय बोर्ड आफ ट्रस्ट के समक्ष रखा जायेगा। न्यास का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च माना जायेगा तथा न्यास का खाता बही का अंकेक्षण किसी चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

ट) विशेषाधिकारः -

क. इस न्यास के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/ महाविद्यालय/कार्यक्रम/ ईकाई/कार्यालय/संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु नियम/उपनियम बनाये जा सकते हैं। परन्तु यदि वह डीड आफ ट्रस्ट हरि बन्धु ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम/उपनियम, अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगें।

ख. प्रवन्धक न्यासी यदि उचित समझें तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्हीं प्राविधानों को शिथिल कर सकते हैं तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्य निर्णय ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष की विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी। न्यास की बैठकों में बराबर की मत विभाजन की स्थिति में उसका निर्णय ही प्रभावी होगा। साथ ही प्रवन्धक न्यासी को यह विशेषाधिकार होगा कि वह न्यास के हित में न्यास मंडल के किसी निर्णय को स्थगित या रद्द कर सके। उस

Jaya Singh
Principal
Hari Bandhu International School

हरिबन्धु इण्टरनेशनल स्कूल
प्रबन्धक

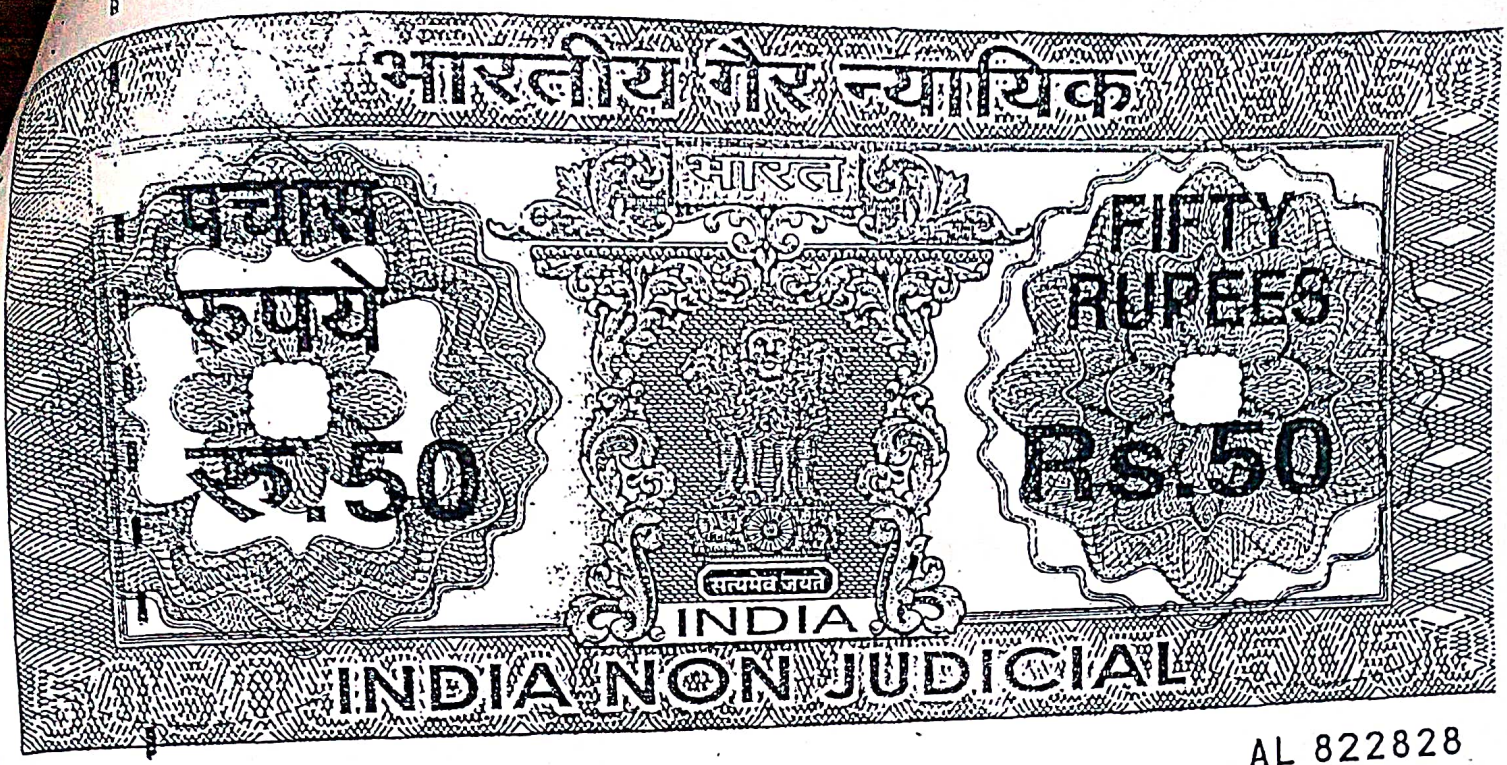

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

AL 822828

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

पर किसी की कोई आपत्ति नहीं होगी। इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी कारवाई को कहीं भी किसी न्यायांलय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

मैंने न्यास पत्र के शर्तों को पूर्णतया पढ़ व पढ़वाकर सुन व समझ लिया है. किसी शर्त से कोई, एतराज नहीं है और न कभी होगा। इसलिए यह न्यास पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पड़ने पर काम आये।

तहरीर तारीख : 19-3-2014

गवाहान :-

1.नाम Awdhesh Yadav
पिता का नाम Ramdiwan Yadav
पूरा पता Ramgarh Varanasi
हस्ताक्षर

2.नाम Ajay Kumar Yadav
पिता का नाम Shiwpojan Yadav
पूरा पता Rampur Bantra Mandiyang
हस्ताक्षर Ghazipur

मसविदाकर्ता Ajit K. Singh Advocate
Civil Court
Varanasi.

हरिबन्धु इन्टरनेशनल स्कूल प्रबन्धक

16

Jaya Singh
Principal
Hari Bandhu International School

21751
19-3-14

हरीबन्धु ट्रस्ट पंचकोशी रोड वा०

कुमार शैलेन्द्र सहाय (स्वयंसेवा शिक्षण),
कचहरी वाराणसी
19/34

आज दिनांक **19/03/2014** को

वही सं. **4** जिल्द सं. **159**

पृष्ठ सं. **121** से **152** पर कमांक **22**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शैलेन्द्र कुमार सिंह
SRO1
Sub Registrar-1 VNS
19/3/2014

09/05/18

हरिबन्धु इन्टरनेशनल स्कूल
प्रबन्धक

Jaya Singh
Principal
Hari Bandhu International School